BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 04 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- सोनू पुत्र योगेश शर्मा 2- धीरज पुत्र योगेश शर्मा 3- गोपाल पुत्र योगेश शर्मा 4- योगेश पुत्र गजाधर शर्मा 5- विपिन पुत्र हरिओम शर्मा निवासी ग्राम कादिरपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति मनवीर के साथ जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट कर ,बर्फ तोडने वाले सूजे से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.07.2014 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 602/2014 धारा 302,147,148,149,323 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.07.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 15 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 04.03.2025 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा(मा0 न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू, धीरज, गोपाल व योगेश को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव व श्रीमती रश्मि सोलंकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर